न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

प्रकरण संख्याः— 77/2022

प्रार्थीगणः—

1. जगताराम पुत्र मानाराम जाति पुरोहित
2. जैसाराम पुत्र भभूताराम जाति पुरोहित
3. डुंगराराम पुत्र मानाराम जाति पुरोहित
4. दौलसिंह पुत्र लच्छाराम जाति पुरोहित
5. नगसिंह पुत्र लच्छाराम जाति पुरोहित
6. नरपतराम पुत्र मानाराम जाति पुरोहित
7. भवाराम पुत्र मानाराम जाति पुरोहित
8. शंकरराम पुत्र मानाराम जाति पुरोहित
9. सुजाराम पुत्र छोगाराम जाति पुरोहित

निवासीगण पादरू तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1 आसाराम पुत्र मांगाराम जाति मेघवाल निवासी पादरू
2 कपूराराम पुत्र मांगाराम जाति मेघवाल निवासी पादरू
3 कानाराम पुत्र मांगाराम जाति मेघवाल निवासी पादरू
4 बीजाराम पुत्र मांगाराम जाति मेघवाल निवासी पादरू
5 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पादरू
6 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम
कायम करवाने बाबत् रास्ता

उपस्थित :— **1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता विप्रार्थीगण

—: आदेश :—

दिनांक :— 04.07.2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 71 रकबा 5.1776 हैक्टयर किस्म बा.सोयम सरहद मौजा भाटा पटवार क्षेत्र जूनामीठा खेडा तहसील सिणधरी में आई हुई है। जिसमें आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत के बदिशा उत्तर दिशा में स्थित विप्रार्थीगण की खातेदारी की सरहद मौजा पादरू पटवार मण्डल पादरू तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 1853/933 मे से होते हुए आगे ग्रेवल सडक जो मौके पर विप्रार्थीगण के खेत के बदिश उत्तरी सेडे—सेडे चल रहा है तक जाता है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

जिसको सुस्पष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' पेश किया है प्रार्थी के खेत से सडक मार्ग तक आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खेत की उत्तरी माठ पर अवस्थित प्रचलित रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में बरंग पीला ए से बी से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया ।

विप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री श्रवण जांगिड ने इकबाली जबाब प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाली जबाब प्रस्तुत कर इकबाली जबाब के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित ए से बी बरंग पीला अनुसार बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

हमने प्रार्थीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया विप्रार्थीगण द्वारा श्री इकबाली जबाब प्रस्तुत कर बिना किसी प्रतिफल के प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को घोषित करवाने हेतु सहमति दी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इकबाली जबाब के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित ए से बी बरंग पीला अनुसार राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर संलग्न तहसलीदार सिवाना का मौका फर्द का गहनता से अध्ययन व मनन किया । विप्रार्थीगण के इकबाली जबाब के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251 क स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 71 रकबा 5.1776 हैक्टयर किस्म बा.सोयम सरहद मौजा भाटा पटवार क्षेत्र जूनामीठा खेडा तहसील सिणधरी में कृषि कार्य के लिये आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1853/933 में इकबाली जबाब के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए से बी बरंग पीला 16 फीट चौडा व 1080 फीट लम्बा (करीबन 1 बीघा) रास्ता घोषित किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण को प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

उक्त नया रास्ता में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृत निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज होगी।प्रार्थी को इस प्रकार दर्ज 16 फीट चौडा व 1080 फीट लम्बा (करीबन 1 बीघा) भूमि रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अधिकारी अर्जित नहीं होगे। तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु. रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। इकबाली जबाब के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए से बी बरंग पीला इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। रास्ता के रूप में समावित होने वाली भूमि के एवज में विप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार प्रतिफल नहीं लिये जाने हेतु इकबाली जबाब प्रस्तुत किया गया है अतः विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में घोषित भूमि के एवज में किसी प्रकार का प्रतिफल देय नही होगा।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 04.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना